संख्या-148/2016/742/22-2-2016-17(159)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2016***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी शंकर पुत्र श्री शिवचरन निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3/(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शंकर पुत्र श्री शिवचरन निवासी ग्राम-मेहरबान खेडा मजरा मेथी टीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। पूर्व में हुयी हत्याओं को लेकर चली आ रही पारिवारिक रंजिश के कारण बंदी ने 17 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11-02-2001 को रात्रि लगभग 08:00 बजे से 09:00 बजे के मध्य कट्टा, कुल्हाडी एवं बंदूक आदि से लेस होकर वादी गुड्डू के पास पहुंचे और हथियारों से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं बच्चे को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-228/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,307/149,452,404 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनांक 18-12-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2015 तक 14 वर्ष 10 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 06 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त न होने एवं जिला मजिस्ट्रेट व प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी के अपराध से समाज के व्यापक रूप से प्रभावित होने तथा बन्दी के अशक्त न होने के आधार पर फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शंकर पुत्र श्री शिवचरन, निवासी जनपद-उन्नाव को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शंकर (बन्दी संख्या-18353) पुत्र श्री शिवचरन निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-148/2016/742(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-148/2016/742/22-2-2016-17(159)/2016

दिनांक 10 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरूद्ध शंकर (बन्दी संख्या-18353) पुत्र श्री शिवचरन निवासी ग्राम-मेहरबान खेडा मजरा मेथी टीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। पूर्व में हुयी हत्याओं को लेकर चली आ रही पारिवारिक रंजिश के कारण बंदी ने 17 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11-02-2001 को रात्रि लगभग 08:00 बजे से 09:00 बजे के मध्य कट्टा, कुल्हाडी एवं बंदूक आदि से लेस होकर वादी गुड्डू के पास पहुंचे और हथियारों से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं बच्चे को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-228/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,307/149,452,404 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनांक 18-12-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2015 तक 14 वर्ष 10 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 06 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक, उन्नाव ने बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने एवं जिला मजिस्ट्रेट व प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी के अपराध से समाज के व्यापक रूप से प्रभावित होने तथा बन्दी के अशक्त न होने के आधार पर फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शंकर पुत्र श्री शिवचरन, निवासी जनपद-उन्नाव को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।